रजिस्ट्री सं. डी. (डी.)-72

REGISTERED No. D. (D)—72.

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 168] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 5, 1981/वैशाख 15, 1903

No. 168] NEW DELHI, TUESDAY, MAY 5, 1981/VAISAKHA 15, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

नौवहन और परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 मई, 1981

सा. का. नि. 320 (अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 (1908 का 15) की धारा 35 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, काण्डला पत्तन मार्गदर्शन (फीस) आदेश, 1975 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम कांडला पत्तन मार्गदर्शन (फीस) संशोधन आदेश, 1981 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. कांडला पत्तन मार्गदर्शन (फीस) आदेश, 1975 में.—

(1) खंड 4 में,—

(क) उपखंड (1) में, मद (3) का लोप किया जाएगा,

(ख) उपखंड (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपखंड अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(1क) जब किसी पाइलट की सेवाओं की किसी यंत्रचालित जलयान के अन्तर्गमन मार्गदर्शन के लिए मांग की जाती है और यदि ऐसी मांग रद्द कर दी जाती है तो—

(1) ऐसे मामलों में जहां कोई पाइलट मांग के अनुसार आने वाले जलयान का मार्गदर्शन करने के लिए मार्गदर्शन केन्द्र पर जाता है और यदि पाइलट को किसी पोत दुर्घटना के कारण जलयान के मास्टर के नियंत्रण से बाहर के किन्हीं कारणों से जलयान के न आने या विलंब से आने, जमीन में धंसने या जलयान में अग्नि के कारण लौटना पड़ता है तो अन्यथा प्रभार्य मार्गदर्शन फीस का पचास प्रतिशत ही प्रभारित किया जाएगा,

(2) ऐसे मामलों में जहां कोई पाइलट मांग के अनुसार किसी आने वाले जलयान के मार्गदर्शन के लिए पाइलट केन्द्र पर जाता है और यदि पाइलट को निम्नलिखित कारणों से वापस लौटना पड़ता है:—

(क) ऊपर (1) में उल्लिखित कारणों से भिन्न किसी कारण से जलयान का न आना या विलम्ब से आना,

(ख) उस जलयान के मास्टर के पत्तन में प्रवेश करने से इंकार करना,

(ग) पाइलट को भेजे जाने से पूर्व मार्गदर्शन मांग का रद्द न किया जाना,

(घ) कोई अन्य कारण,

तो पूरी मार्गदर्शन फीस, जिसमें पाइलट के रात्रि के समय पोत

पर आने की दशा में रात्रि मार्गदर्शन फीस भी सम्मिलित है, वसूल की जाएगी ।''

(2) खंड 5 के उपखंड (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा, अर्थात् —

''(2) प्रति घंटा और उसके भाग के लिए तटवर्ती जलयान के लिए 495 रुपये और विदेशी जलयान के लिए 775 रुपये रोके रखने की फीस उस स्थिति में ली जाएगी जब पाइलट किसी जलयान के आने तक पाइलट लांच या कर्षनाव (टग) पर, आ जाने के संसूचित प्रत्याशित समय से आधे घंटे से अधिक के लिए रोका जाए .

परन्तु ऐसी कोई फीस प्रभारित नहीं की जाएगी यदि पाइलट को किसी पोत दुर्घटना के कारण जलयान के मास्टर के नियंत्रण से बाहर के किन्हीं कारणों से जलयान के न आने या विलम्ब से आने, जमीन में धंसने या जलयान में अग्नि के कारण वापस लौटना पड़ता है ।''

[पी डब्ल्यू-पी जी आर-35/80]

बी बी. महाजन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Ports Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd May, 1981

G.S.R. 320(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 35 of the Indian Ports Act, 1908 (15 of 1908), the Central Government hereby makes the following further amendments in the Kandla Port Pilotage (Fees) Order, 1975, namely :—

1 (1) This order may be called the Kandla Port Pilotage (Fees) Amendments Order, 1981.

(2) It shall come into force at once.

2 In the Kandla Port Pilotage (Fees) Order, 1975,—

(1) in clause 4,—

(a) in sub-clause (1), item (iii) shall be omitted ;

(b) after sub-clause (1), the following sub-clause shall be inserted, namely :—

"(1A) When the services of a pilot are requisitioned for the inward pilotage of a mechanically propelled vessel and if such requisition is cancelled,—

(i) In case where a pilot goes to Pilot Station to pilot an incoming vessel in accordance with the requisition and if the pilot has to return due to non-arrival or late arrival of the vessel for reasons beyond the control of the Master of the vessel on account of any shipping casualty, grounding or fire on board the vessel, only fifty per cent of pilotage fees otherwise chargeable shall be charged ;

(ii) in cases where a pilot goes to Pilot Station to pilot an incoming vessel in accordance with the requisition and if the pilot has to return owing to :—

(a) non-arrival or late arrival of that vessel due to reasons other than those mentioned in (i) above ;

(b) refusal of the Master of that vessel to enter the Ports ;

(c) non-cancellation of pilotage requisition before the pilot is despatched ;

(d) any other reasons.

full pilotage fee, including night pilotage fee where the pilot boards at night hours, shall be recovered." ;

(2) for sub-clause (2) of clause 5, the following sub-clause shall be substituted, namely :—

"(2) A detention fee of Rs. 495 for coastal vessel and Rs 775 for foreign vessel per hour or part thereof shall be charged if a pilot is detained beyond the intimated expected time of arrival of the vessel for more than half an hour on the pilot launch or tug pending the arrival of the vessel :

Provided that no such fee shall be charged if the pilot has to return due to non-arrival or late arrival of the vessel for reasons beyond the control of the Master of the vessel on account of any shipping casualty, grounding or fire on board the vessel".

[PW-PGR-35/80]

B B MAHAJAN, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1981